



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, U.P. Pollution Control Board  
भवन सं०-६५ ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: ०७०/०-९३/२०२३

दिनांक १०/०८/२०२३

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi.

**Subject- A Factual and action taken report in compliance of order dated-11.04.2023 in O.A. No.-773/2022 "Rajesh Pareek V/s State of Uttar Pradesh".**

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below :-

"...In the light of the said order and observations in the present case, the Chief Secretary, U.P., in coordination with other concerned authorities in the State, may ensure remedial action in the present case also for which a special meeting of concerned officers be convened preferably within one month to inter alia consider that untapped drains are intercepted and diverted to the identified STPs preferably within two months, treated sewage from each STP is provided to the identified command area for irrigation/agriculture and only during non-utilization period, treated sewage goes to river, performance of six STPs is evaluated and improved with defined mode of disposal, chlorination method and formation of THMs are studied in the light of protocol for chlorine dosing corresponding to BOD levels, treatment of effluent of industries individually or through CETP in terms of consented mode of disposal. An action 10 taken report be filed within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

In the compliance of above directions, Earlier a show cause notice was issued to Nagar Nigam Mathura-Vrindavan, Mathura, after which the reply was submitted by Nagar Nigam, Mathura and after the examination the reply of Nagar Nigam Mathura-Vrindavan, Mathura the Environment Compensation of Rs. 3.25 cr. has been imposed on Mathura-Vrindavan Nagar Nigam, Mathura is annexed as annexure-1 and analysis reports of concern 06 STPs is annexed as annexure-2. In continuation a compliance report has been submitted by Executive Engineer, U.P. Jal Nigam (Nagariya) is annexed as annexure-3 and Project Manager, Yamuna Pradushan Niyantaran Ekayee, U.P. Jal Nigam (Gramin) is annexed as annexure-4.

Accordingly a factual and action taken report is being submitted with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

  
Regional Officer

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.

  
Regional Officer



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H99117

/सी-4/एन.जी.टी.-152/पर्या0क्षति0/2023

दिनांक : 10-8-23

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
मथुरा-वृन्दावन,  
मथुरा।

**विषय:** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मथुरा में स्थित ड्रेन्स का निरीक्षण संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 24.11.2022 को करते हुए निरीक्षण आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्रांक-1792/ओ-93/23 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। निरीक्षण आख्यानुसार अवगत कराया गया था कि मथुरा-वृन्दावन के क्षेत्रान्तर्गत 36 ड्रेन्स स्थापित/संचालित हैं, जिसमें से 31 ड्रेन्स को टैप्ड किया गया है तथा उक्त ड्रेन्स के जल अनुश्रवण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा माह फरवरी, 2021 से किया जा रहा है। उक्त ड्रेन्स के टैप्ड के उपरान्त पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से सम्बन्धित एस0टी0पी0 पर भेजा जाता है तथा जिसका शुद्धिकरण एस0टी0पी0 के माध्यम से किया जाता है, जोकि वर्तमान समय में बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति कर रहे हैं। अम्बाखार ड्रेन आंशिक टैप्ड है, जो ट्रान्स यमुना एस0टी0पी0 पर भेजा जाता है। शेष 04 ड्रेन्स जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1. चैतन्य विहार, वृन्दावन, मथुरा।
2. औरंगाबाद अपस्ट्रीम, मथुरा।
3. औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम, मथुरा।
4. काला पत्थर, मथुरा।

उक्त ड्रेन्स, जो कि अनटैप्ड है तथा जिन पर बायो रेमेडियेशन का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा ड्रेन्स का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित किया जाता है। उक्त ड्रेन्स में फरवरी, 2021 से माह जून 2022 तक प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है। तदोपरान्त माह जुलाई, 2022 से माह जनवरी, 2023 तक उक्त 04 ड्रेन्स में से 02 ड्रेन्स में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है एवं माह अगस्त, 2022 में 01 ड्रेन (काला पत्थर, मथुरा) मानकों के अनुरूप पायी गयी तथा 04 ड्रेन्स में से 02 ड्रेन्स (चैतन्य विहार, वृन्दावन, मथुरा एवं औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम, मथुरा) में माह सितम्बर, 2022 से माह जनवरी, 2023 तक निरन्तर प्रचालकों की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी है। उक्त ड्रेन्स सीधे यमुना नदी में मिलती है। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 1788/ओ-93/2023 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उचित कार्यवाही हेतु पत्र नगर आयुक्त, मथुरा-वृन्दावन नगर निगम, मथुरा को प्रेषित किया गया है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं-

"Bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 05 Lakhs per month per drain to be deposited with the CPCB."

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्रांक-1792/ओ-93/2023, दिनांक 10.02.2023 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में नगर आयुक्त, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध रू0 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से समस्या का समाधान होने तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने तथा औरंगाबाद

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेबसाइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

T.C.-12V., Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
E-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web Site: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

डाउनस्ट्रीम एवं चैतन्य विहार डाउनस्ट्रीम ड्रेन्स को रीलोकेट किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच89114/सी-4/एनजी0टी0-152/2023, दिनांक 14.02.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2023 के संदर्भ में नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा पत्र संख्या-339/सी0एस0सी0/न0नि0म0वृ0-मथुरा/2022-23, दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच96454/सी-4/एनजी.टी./152/2023, दिनांक 28.06.2023 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को प्रतिउत्तर दिनांक 06.3.2023 का संज्ञान लेते हुए प्रकरण पर कृत कार्यवाही एवं संस्तुति तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्रांक-783/ओ-93/2023, दिनांक 25.07.2023 द्वारा आख्या प्रेषित की गई है। आख्यानुसार उक्त 05 ड्रेन्स पर बायो रेमेडियेशन का कार्य 01 दिसम्बर, 2020 से प्रारम्भ किया गया है, जबकि उक्त वर्णित ड्रेन्स पर बायो रेमेडियेशन/फाइटो रेमेडियेशन का कार्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.11.2019 से प्रारम्भ किया जाना था। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0-773/2022 राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के निर्देशों के अनुपालन में नगर आयुक्त, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध रू0 5.00 लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से दिनांक 01.11.2019 से 01.11.2020 तक कुल 13 माह एवं उक्त 05 ड्रेन्स के अनुसार कुल रू0 3.25 करोड़ (रूपया तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 174 की धारा-33(ए) के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 14.02.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत रखते हुए नगर आयुक्त, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध रू0 5.00 लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से दिनांक 01.11.2019 से 01.11.2020 तक कुल 13 माह एवं उक्त 05 ड्रेन्स के अनुसार कुल रू0 3.25 करोड़ (रूपया तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0-701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

साक्ष्य अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नगर आयुक्त, मथुरा-वृन्दावन, मथुरा से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

16/8/23



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
**Regional Office, U.P. Pollution Control Board**  
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा  
**STATUS OF S.T.P.'S AT DISTT.-MATHURA**

वेब साइट: [www.uppccb.com](http://www.uppccb.com)  
ई-मेल :- [romathura@uppccb.in](mailto:romathura@uppccb.in)

S. NO.	Name & Address Of S.T.P.	Capacity (MLD)	Date of Sample Collection	Colour	pH	BOD	COD	S.S.	Total Coliform	Faecal Coliform
1	S.T.P. (08 MLD) Outlet, UASB , Near 100 Bed Hospital, Vrindavan, Mathura.	8.0	25.07.2023	Sl.Turbid	7.8	21.0	128.0	79.0	2200.0	820.0
2	STP 6.8 MLD (Oxidation pond) Outlet, Masani, Mathura.	6.8	25.07.2023	Sl.Turbid	7.8	25.0	168.0	72.0	2700.0	930.0
3	S.T.P. (30 MLD)Outlet, SBR, Masani, Mathura.	30.0	25.07.2023	C.Less	7.8	24.0	136.0	61.0	2500.0	910.0
4	04 MLD STP Outlet (Oxidation pond), Near Pagal Baba Mandir, Mathura.	4.0	25.07.2023	Turbid	8.0	23.0	176.0	83.0	3100.0	810.0
5	STP 14.5 MLD (Oxidation pond) Outlet, Trans Yamuna, Mathura.	14.5	25.07.2023	Turbid	7.8	23.0	168.0	82.0	2400.0	820.0
6	S.T.P.(16 MLD) Outlet, UASB, Trans Yamuna, Mathura.	16.0	25.07.2023	Sl.Turbid	8.0	24.0	184.0	81.0	2500.0	830.0



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 Regional Office, U.P. Pollution Control Board  
 भवन सं०-65 ए, बलदेव पुरी, महोली रोड, मथुरा  
 STATUS OF S.T.P.'S AT DISTT.-MATHURA

वेब साइट: [www.uppccb.com](http://www.uppccb.com)  
 ई-मेल :- [romathura@uppccb.in](mailto:romathura@uppccb.in)

S. NO.	Name & Address Of S.T.P.	Capacity (MLD)	Date of Sample Collection	Colour	pH	BOD	COD	S.S.	Total Coliform	Faecal Coliform
1	S.T.P. (08 MLD) Outlet, UASB, Near 100 Bed Hospital, Vrindavan, Mathura.	8.0	30.05.2023	Sl. Turbid	7.9	23.0	128.0	57.0	2400.0	830.0
2	STP 6.8 MLD (Oxidation pond) Outlet, Masani, Mathura.	6.8	30.05.2023	Sl. Turbid	7.8	26.0	184.0	42.0	3200.0	920.0
3	S.T.P. (30 MLD)Outlet, SBR, Masani, Mathura.	30.0	30.05.2023	Cl.ess	7.6	24.0	144.0	52.0	2700.0	910.0
4	04 MLD STP Outlet (Oxidation pond), Near Pagal Baba Mandir, Mathura.	4.0	30.05.2023	Turbid	7.7	25.0	192.0	71.0	4000.0	920.0
5	STP 14.5 MLD (Oxidation pond) Outlet, Trans Yamuna, Mathura.	14.5	30.05.2023	Turbid	7.9	27.0	176.0	76.0	3400.0	930.0
6	S.T.P.(16 MLD) Outlet, UASB, Trans Yamuna, Mathura.	16.0	30.05.2023	Sl. Turbid	8.1	26.0	176.0	64.0	2700.0	930.0



क्षत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
**Regional Office, U.P. Pollution Control Board**  
 भवन सं०-65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा  
**STATUS OF S.T.P.'S AT DISTT.-MATHURA**

वेब साइट: [www.ippcb.com](http://www.ippcb.com)  
 ई-मेल :- [romathura@ippcb.in](mailto:romathura@ippcb.in)

S. NO.	Name & Address Of S.T.P.	Capacity (MLD)	Date of Sample Collection	Colour	pH	BOD	COD	S.S.	Total Coliform	Faecal Coliform
1	S.T.P. (08 MLD) Outlet, UASB, Near 100 Bed Hospital, Vrindavan, Mathura.	8.0	27.06.2023	Slightly Turbid	7.7	23.0	144.0	44.0	2600.0	910.0
2	STP 6.8 MLD (Oxidation pond) Outlet, Masani, Mathura.	6.8	27.06.2023	Slightly Turbid	7.0	27.0	184.0	53.0	3300.0	930.0
3	S.T.P. (30 MLD) Outlet, SBR, Masani, Mathura.	30.0	27.06.2023	C.Less	7.8	25.0	144.0	39.0	2600.0	920.0
4	04 MLD STP Outlet (Oxidation pond), Near Pagal Baba Mandir, Mathura.	4.0	27.06.2023	Turbid	7.8	26.0	216.0	51.0	3900.0	920.0
5	STP 14.5 MLD (Oxidation pond) Outlet, Trans Yamuna, Mathura.	14.5	27.06.2023	Turbid	7.9	24.0	192.0	57.0	3200.0	920.0
6	S.T.P. (16 MLD) Outlet, UASB, Trans Yamuna, Mathura.	16.0	27.06.2023	Sl.Turbid	7.8	25.0	176.0	58.0	2500.0	910.0



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

पत्रांक 496 / कोर्ट केस एन.जी.टी. ओ.ए. 773/2022/ 02

दिनांक: 30-05-2023

सेवा में,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
65ए, बल्देवपुरी, महोली रोड़,  
मथुरा।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 773/2022 "राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश" में पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयके आपके पत्रांक 472/0-93/23 दिनांक 09.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उक्त पत्र के माध्यम से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 773/2022 "राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश" में पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय से सम्बन्धित आख्या निम्नवत् है:-

क्र. सं.	बिन्दु	आख्या
1	Observations made during field visit and analysis results are given as below: <b>6. Maant road, Vrindaavan(8.0 MLD)</b> It is based on UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) technology. STP is operated by Private agency M/S Vatavam Techno, Agra from July 2021 to till date. Main pumping station for input is Rukmani Vihar- 7MLD and Rajpur phatak-1 MLD. At the time of inspection, STP was found operational.	Since, during the field visit 8 MLD STP at Maant Road was found operational and as per the said order the STP was compliant. Therefore no action to be taken.
2	11. In the light of the said order and observations in the present case, the Chief Secretary, U.P, in coordination with other concerned authorities in the State, may ensure remedial action in the present case also for which a special meeting of concerned officers be convened preferably within one month to inter alia consider that untapped drains are intercepted and diverted to the identified STPs preferably within two months, treated sewage from each STP is provided to the identified command area for irrigation/agriculture and only during non-utilization period, treated sewage goes to river, performance of six STPs is evaluated and improved with defined mode of disposal, chlorination method and formation of THMs are studied in the light of protocol for chlorine dosing corresponding to BOD levels, treatment of effluent of industries individually or through CETP in terms of consented mode of disposal.	The treated discharge of 8 MLD STP, Mant Road goes to Yamuna river through Akroor drain and is being utilized for irrigation puposes.

भवदीय

  
30.05.23  
(सुजीत कुमार)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा।

अधिशासी अभियन्ता



pmypcuagra@gmail.com

मो० नं० : 09473942644.

**कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,**  
**यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)**  
 वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी गण्डी रोड, आगरा - 282 004

पत्रांक ..... 441-0 ..... / 22/जी.पी. / 01 दिनांक 02/6/2023

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
 उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
 मथुरा।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 773/2022 "राजेश पारीक बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश" में पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), कृष्णानगर-मथुरा के पत्रांक 441/NGTOA773/2022/01 दिनांक 09.05.2023 के संलग्न ओ०ए० संख्या 773/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2023 की एक प्रति इस कार्यालय को अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित ओ०ए० में इस कार्यालय से सम्बन्धित आख्या के संदर्भ में अवगत कराना है कि मथुरा-वृन्दावन नगर निगम सीमान्तर्गत मथुरा नगर में 23 नग नाले एवं वृन्दावन नगर में 13 नग नाले, इस प्रकार कुल 36 नग नाले हैं, जिनमें से 30 नग नाले पूर्णतः टेपड हैं, एक नाला आंशिक टेपड है (मथुरा नगर में 19 नग नाले पूर्ण टेपड एवं 1 नग आंशिक टेपड है। वृन्दावन नगर में 11 नग नाले पूर्ण टेपड हैं)।

मथुरा नगर में शेष 03 नग अनटेपड नाले औरंगाबाद अपस्ट्रीम, औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम व काला पत्थर एवं 01 नग आंशिक टेपड नाला अम्बाखार के अशोधित श्राव के शोधन हेतु नगर निगम द्वारा चिन्हित गोकुल बैराज स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर प्रस्तावित 60 एम.एल.डी. एस.टी.पी. निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य हेतु डी.पी.आर. लागत रु. 292.56 करोड़ (15 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव कार्य सहित) का AA&ES (Administrative Approval & Expenditure Sanction) एन.एम.सी.जी. नई दिल्ली के पत्रांक Pr-11013/3/2022-O/o Dir (T-III) NMCG, दिनांक 07.09.2022 द्वारा जारी कर दिया गया है। निविदा दिनांक 06.12.2022 को आमंत्रित की जा चुकी है जिसकी तकनीकी विड दिनांक 03.04.2023 को खोली है एवं वित्तीय निविदा दिनांक 30.05.2023 को खोली जा चुकी है। जिसका अग्रतर कार्यवाही हेतु मूल्यांकन किया जा रहा है।

वृन्दावन नगर में शेष 02 नग नाले चैतन्य विहार (सुनरख) - I एवं II के अशोधित श्राव एवं कालीदह आई.पी.एस. के श्राव के शोधन हेतु नगर निगम द्वारा चिन्हित भूमि गौसमाधि/साधू समाधि स्थल सुनरख ग्राम के समीप प्रस्तावित 13 एम.एल.डी. एस.टी.पी. निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य हेतु डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु 77.70 करोड़ (15 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव कार्य सहित) की स्वीकृति दिनांक 30.09.2022 को आयोजित एन.एम.सी. जी. की 45वीं Executive Committee (EC) की बैठक में हो चुकी है। जिसका AA&ES (Administrative Approval & Expenditure Sanction) एन.एम.सी.जी. नई दिल्ली के पत्रांक Pr-11013/1/2022-O/o Dir (T-III) NMCG, दिनांक 25.10.2022 द्वारा जारी कर दिया गया है। निविदा दिनांक 06.04.2023 को आमंत्रित की जा चुकी है। उक्त योजना की तकनीकी निविदा Corrigendum notice 2 के अनुसार दिनांक 16.06.2023 को खोली जानी प्रस्तावित है।

क्रमशः.....2

*(Handwritten signature)*